बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (पटना) 02–84/2022–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–22(मु०)/स्था०, दिनांक–01.10.2022 द्वारा **श्री चंदन कुमार, प्रभारी अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना** के विरुद्ध सी०डब्लू० जे०सी० सं0–13619/2022 अखिलेश कुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा अतिक्रमण वाद में लापरवाही बरतने एवं गलत प्रपत्र में नोटिस निर्गत करने के कारण माननीय न्यायालय में सदेह उपस्थित होना पड़ा। माननींय उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक 22.09.2022 को अंचल कार्यालय, फुलवारीशरीफ में अतिक्रमण वाद से संबंधित लंबित अभिलेखों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा विहित प्रपत्र में नोटिस निर्गत नहीं किया जाता है। अभिलेख का संधारण भी सही तरीके से नहीं की जाती है। कई अभिलेखों में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था। कई अभिलेख अनेक तिथियों से उपस्थापित नहीं थे। अभी अंचल कार्यालय में दाखिल–खारिज के 4920 मामले प्रक्रियाधीन हैं, जिसमें से 52 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से लंबित है, उसमें से 35 आवेदन को Traceless बताया गया, जैसे आरोपों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबन करने की अनुशंसा के साथ पत्र प्रतिवेदित किए गये।

2. उक्त अनुशंसा के संदर्भ में विभागीय संकल्प सं0–1613(15) दिनांक–08.10.2022 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया।

3. समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक–2705 दिनांक–27.11.2022 द्वारा उपर्युक्त आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

4. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में निलम्बन से मुक्त करने के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय संकल्प सं0–1848(15) दिनांक–17.10.2023 से निलंबन मुक्त किया गया।

5. उक्त आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया।

6. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–1864(15) दिनांक–18.10.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, पटना को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु अपर समाहर्त्ता, पटना को अपने स्तर से जिला अथवा अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी की नियुक्ति करने का निदेश दिया गया।

7. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक–8997 दिनांक–24.12.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया।

प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–439(15) दिनांक–19.03.2024 से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा कार्यालय अंचल अधिकारी, पटना सिटी, पटना के पत्रांक–35 दिनांक–08.01.2026 से अपना द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया।

8. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमणकारी को अपना पक्ष रखने हेतु सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विहित प्रपत्र नोटिस निर्गत नहीं की गई थी बल्कि प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रपत्र II में नोटिस निर्गत की गई थी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वंय भी अपनी गलती को स्वीकार किया गया है कि भूल–वश सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विहित प्रपत्र–1 में अतिक्रमणकारी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत नहीं कर प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रपत्र II नोटिस निर्गत की गई थी। भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नहीं होने हेतु क्षमा याचना की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमणवाद के निष्पादन में लापरवाही बरती गई है और नियम के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। यह भी अंकित किया गया है कि अतिक्रमणवाद से संबंधित अभिलेखों का सही ढंग से रख–रखाव नहीं करने के कारण प्रभारी लिपिक को समाहर्त्ता, पटना द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

दाखिल–खारिज के लंबित आवेदनों के संबंध में अंकित किया गया है कि अंचल कार्यालय में दाखिल–खारिज के प्राप्त कुल–82459 आवेदनों में से 77539 (95 प्रतिशत) आवेदन निष्पादित हो चुके थे, शेष आवेदन प्रक्रियाधीन थे। विभाग की तकनीकी समस्या के कारण 35 आवेदन ट्रेसलेस थे। उक्त आवेदन अंचल कार्यालय में किसी भी स्तर पर यथा–राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी इत्यादि के लॉगिन में नहीं दिख रहा थे। अभिलेखों के संधारण के संबंध में अपने अधीनस्थ कर्मी के ऊपर दोष मढ़ते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य से विमुख होने का प्रयास किया गया है. जो उनके कमजोर नेतृत्वक्षमता को परिलक्षित करता है। अंचल अधिकारी का दायित्व राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन/अनुशंसा मात्र के आधार पर ऑख बंदकर राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन करना नहीं होता है बल्कि अभिलेखीय/स्थलीय साक्ष्यों का अवलोकन/ जाँच–पड़ताल करते हुए राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन करना होता है। यदि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों का समुचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया गया होता तो माननीय उच्च न्यायालय में संदेह उपस्थित होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। इस स्तर पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता, उदासीनता एवं लापरबाही बरती गई है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

9. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के साथ 02(दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

10. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के

निर्णयानुसार श्री चंदन कुमार, प्रभारी अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना **सम्प्रति अंचल अधिकारी, पटनासिटी, पटना** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(vi) के तहत **"संचयी प्रभाव के साथ 02(दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (पटना) 02–84/2022–**592(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–22.4.26

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री चंदन कुमार, अंचल अधिकारी, पटनासिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।